



राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर राज.-302001

Tel. 0141-2220743/Fax-0141-2223251

E-Mail. smc-raj@esic.nic.in

Website- www.esicrajasthan.com

(An ISO 9001 : 2000 Certified Office)

संख्या: 15-यू-11/पीटीएमआर-नियुक्ति/एसएमसी/08/1343

दिनांक 28.12.2009

:- वर्ष 2009 का कार्यालय आदेश सं. 7 :-

मुख्यालय के निर्देशानुसार पीटीएमआर नियुक्ति, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अन्तर्गत मुख्यालय के पत्र संख्या Pt. File No. U-13/12/13/2005-med.1/PTMR dated 09-09-08 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपी गई शक्तियों के अधीन एवं मुख्यालय द्वारा जारी पत्र सं. यू-13/12/13/05 चिकि.1/पी.टी.एम. आर. दिनांक 1.10.2008 एवं 21.10.2008 के अनुक्रम में निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर उनके नाम के आगे अंकित विवरणानुसार एक वर्ष या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्ति प्रदान की है:-

क्र. सं.	नामित डॉक्टर का नाम व पता	अवधि	केन्द्र का नाम	कर्मचारियों की संख्या	बीमितों की संख्या
1	2		3	4	5
1	डॉ. ए. के माथुर, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), राजकीय बांगड अस्पताल, पाली मारवाड	02.01.2010 से 01.01.2011	पाली मारवाड व सम्बद्ध क्षेत्र	15037	15525

उक्त अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी अपनी सुविधा के अनुसार प्रत्येक सप्ताह 3 सत्र के लिए उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक सत्र की अवधि 2.00 घंटे होगी।

मुख्यालय के पत्र सं. यू-13/12/13/05 चिकि.1/पी.टी.एम. आर. दिनांक 1.10.2008 (प्रति संलग्न) के अनुसार उक्त वर्णित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी जो राज्य सरकार के पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी हैं, को प्रतिमाह रिमुनेरेशन (Remuneration) देय होगा।


उक्त वर्णित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी अपने सभी सत्रों के लिए प्रतिमाह रूपये 100/-- रिमुनेरेशन (Remuneration) पर एक अंशकालिक लिपिक रखेंगे।

क्रमशः 2

अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी बीमितों को कॉलम सं. 2 पर वर्णित पते पर देखेंगे

संबंधित शाखा प्रबंधक को इस निर्देश के साथ कि वे नामित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी के लिए arrangement for supply of necessary and other materials E.I. extract of ESI Act, Medical Manual and LO Manual उपलब्ध करवाएंगे।

संलग्न: यथोपरि


राज्य चिकित्सा आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. संबंधित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी।
2. चिकित्सा आयुक्त (मेड-1), मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली।
3. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, अजमेर रोड, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (वित्त), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
6. शाखाधिकारी, (नकद हितलाभ), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
- 7- उप निदेशक (प्रशासन), क्षे. का. जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त आदेश निगम के राजस्थान क्षेत्र की वेबसाईट www.esicrajasthan.com पर उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित है।
8. शाखाधिकारी (पी.आर.), क्षे.का., कराबी निगम, जयपुर।
9. शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, कराबी निगम, पाली मारवाड को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी से उपर्युक्त वर्णित विवरणानुसार बीमितों को देखने हेतु समय निश्चित करें एवं संलग्न कार्यालय आदेश की प्रति अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी को सुपुर्द कर पावती इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
10. चिकित्सा निर्देशी, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
11. सूचना पट्ट
12. गार्ड फाईल